रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72

SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 1981/श्रावण 16, 1903
No. 368] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 1981/SRAVANA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1981

का. आ. 630 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम आयातित माल (रेल द्वारा यानान्तरण) विनियम, 1981 है।

2. लागू होना :—ये विनियम अधीन में रखे गए आयातित माल के रेल द्वारा यानान्तरण को लागू होंगे।

3. यानान्तरण को शासित करने वाली शर्तें :—इन विनियमों के अधीन कोई भी यानान्तरण तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि माल के स्वामी या स्टीमर अभिकर्ता या रेल विभाग, ऐसे प्ररूप में और प्रतिभू के साथ या उसके बिना स्वयं को आबद्ध करते हुए ऐसा बंधपत्र जिसकी समुचित अधिकारी अपेक्षा करे निष्पादित कर दे और जो ऐसी रकम के लिए हो जो :—

(क) उत्पादक माल की दशा में माल के मूल्य; और

(ख) उपभोक्ता माल की दशा में माल के बाजार मूल्य के बराबर होगी।

4. आधानों का मुहर बन्द किया जाना :—(1) समुचित अधिकारी, आधान में रखे गए आयातित माल को रेल द्वारा यानान्तरित किए जाने के पूर्व रेल विभाग या स्टीमर अभिकर्ताओं या माल के स्वामियों के प्रत्यायित प्रतिनिधि की उपस्थिति में सीमा-शुल्क विभाग की मुद्राओं से आधानों को मुहर बंद करेगा।

(2) आधानों पर मुद्रा लगाने के लिए अपेक्षित सामग्री की व्यवस्था रेल विभाग द्वारा और उसके खर्चे पर की जाएगी।

5. निष्पादित किए जाने वाले बंधपत्र के निबंधन :—बंधपत्र का निबंधन यह होगा कि यदि बंधपत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति समुचित अधिकारी को पंद्रह दिन या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो ऐसा अधिकारी अनुज्ञात करे, उक्त बंधपत्र में विनिर्दिष्ट या उस पर या उसके निकटतम अवस्थित सीमा-शुल्क स्टेशन को समुचित सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा जारी किया गया यह प्रमाणपत्र कि माल उस स्टेशन में उत्पादित किया गया है, प्रस्तुत कर देता है तो बंधपत्र का उन्मोचन हो जाएगा, किन्तु अन्यथा उस माल के, जिसकी बाबत उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है यथास्थिति मूल्य या बाजार मूल्य के बराबर रकम समहृत हो जाएगी।

6. साधारण बंधपत्र :—इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी, माल के स्वामियों या स्टीमर

अभिकर्ताओं या रेल विभाग को रेल विभाग द्वारा या माल के ऐसे स्वामियों या स्टीमर अभिकर्ताओं की ओर से यानान्तरित माल की बाबत साधारण बन्धपत्र, ऐसे प्ररूप में और ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति या दोनों के साथ, जो समुचित अधिकारी उचित समझे निष्पादित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

7. आधान में ले जाई जा रही प्रत्येक गांठ या पैकेज के लिए, चाहे उसका आकार, मूल्य, वजन या अन्तर्वस्तु कुछ भी हो, एक रुपए की फीस, जो आधान में रखे गए आयात माल के रेल द्वारा यातान्तरण के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र की बाबत कम से कम दस रुपए और अधिक से अधिक तीन सौ रुपए होगी, सभी सीमाशुल्क विभाग पत्तनों पर प्रभारित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :—इस विनियम में लोह अयस्क, तेल, काष्ठ या अन्य थोक के एक टन या उसके भाग का एक पैकेज के रूप में गणना की जाएगी ।

[अधिसूचना स 189/81-सी. शु. फा. सं. 481/57/81-सी. शु. 7]

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 7th August, 1981

S.O. 630(E).—In exercise of powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title.—These regulations may be called the Imported Goods (Transhipment by Rail) Regulations, 1981.

2. Application.—These regulations shall apply to the transhipment by rail of containerised imported goods.

3. Conditions governing transhipment.—No transhipment by rail shall be allowed under these regulations unless the owners of the goods or the steamer agents or the Railways execute a bond in such form and with or without surety, as the proper officer may require binding themselves for an amount which shall be equal to—

(a) the value of the goods, in the case of produce goods ; and

(b) the market price of the goods in the case of consumer goods.

4. Container to be sealed.—(i) The proper officer shall, before the containerised imported goods are transhipped by rail, seal the containers with appropriate seals in the presence of an accredited representative of the Railways, the steamer agents or the owner of the goods, as the case may be.

(ii) The materials required for sealing of the containers shall be provided by, and at the cost of the Railways.

5. Terms of the bond to be executed.—The terms of the bond shall be that if the person executing the bond provides to the proper officer, within fifteen days or within such extended period as such officer may allow, a certificate issued by the proper officer at the customs station of destination specified in the said bond that the goods have been produced at that station, the bond shall stand discharged ; but otherwise an amount equal to the value or, as the case may be, the market price of the goods in respect of which the said certificate is not produced shall stand forfeited.

6. General bond.—Notwithstanding anything in these regulations, the proper officer may permit the owners of the goods or the steamer agents or the Railways to enter into a general bond in such form and with such surety or security or both as the proper officer may deem fit in respect of the transhipment of goods effected by the Railways or on behalf of such owners of goods or the steamer agents.

7. A fee of one rupee per bale or package carried in the container, irrespective of size, value, weight or contents thereof subject to a minimum fee of ten rupee and a maximum fee of three hundred rupees in respect of each application for transhipment by rail of containerised imported goods would be charged at all the customs stations.

Explanation.—In this regulation one ton or a fraction thereof of iron ore, oil, timber and other bulk commodities, shall be reckoned as one package.

[Notification No. 189/81-Customs/F. No. 481/57/81-Cus. VII]

का. आ. 631 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 54 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, बंगलौर स्थित सीमाशुल्क विमान पत्तन को विनिर्दिष्ट करता है ।

[अधिसूचना सं. 190/81-सीमा-शुल्क/फा./सं. 481/57/81-सी. शु. 7]

एन. के. कपूर, अवर सचिव
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

S.O. 631(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 54 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby specifies customs airport at Bangalore for the purposes of the said clause.

[Notification No 190/81-Customs/F. No. 481/57/81-Cus. VII]

N. K. KAPUR, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981